उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

[illegible]/17 पत्रावली आज बाबत लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के मध्य निस्तारणार्थ प्रस्तुत हुई। वादी एवं वादी के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादी गण बावजूद तामील के अनुपस्थित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का, स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर फैसला सुनाया गया है। [illegible]

[illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :- 91/2017

1. सत्यनारायण पिता भंवर लाल बोहरा, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा। —प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पिता संतोक दास बैरागी, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
2. जमना देवी पत्नी भैरू लाल बोहरा, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. उदा पिता रूपा बैरवा, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
4. मोहन पिता रूपा बैरवा, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
5. जैना पिता रूपा बैरवा, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
6. दयाराम पिता रूपा बैरवा, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
7. देबीलाल पिता कल्याण भारती, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
8. जगन्नाथ पिता कल्याण भारती, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
9. कन्हैया लाल पिता कल्याण भारती, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
10. पारपती पत्नी कल्याण भारती, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
11. नन्दा पिता भागु खारोल, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
12. नन्दा मुतबन्ना राजू खारोल, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
13. देवा पिता रामा कुम्हार, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
14. मथरा पिता रामा कुम्हार, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
15. कालु पिता रामा कुम्हार, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
16. उदा पिता गंगाराम गाडरी, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
17. बालु पिता हीरा भारती, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
18. कैलाश पिता माधु भारती, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
19. देबी पिता उदा भारती, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। ---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू.—राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 02.06.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू.—राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 03.05.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिदडियास, पटवार हल्का सिदडियास, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 942 रकबा 01—05 बीघा, आराजी संख्या 943 रकबा 01—13 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 02—18 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण 01 से लगायत 19 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सिदडियास, पटवार हल्का सिदडियास, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 942 रकबा 01–05 बीघा, आराजी संख्या 943 रकबा 01–13 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 02–18 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगडी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 300/– अक्षरे तीन सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगडी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 02.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पदेन सहायक भीलवाडा